jktdh; LukrdksŸkj egkfo|ky; lksyu] ftyk lksyu] fgekpy izns'k dh lfpf;dk ys[kk dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu

vof/k 4@06 ls 3@12

Hkkx&,d

1 xr vads{k.k izfrosnu%&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारे हेतु की गई कार्रवाई का सत्यापनोपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई। अतः अंकेक्षण आपत्तियों का षीध्र निपटारा किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

¼d½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@88 ls 3@91

1	पैरा–4 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (च)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (छ)	अनिर्णीत
6	पैरा–8	अनिर्णीत
7	पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत

¼[k½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@91 ls 3@94

1	पैरा–5 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत

¼x½ vkdf{k.k ifrosnu vof/k 4@94 ls 3@97

1	पैरा–3 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–6	अनिर्णीत
3	पैरा–7	अनिर्णीत
4	पैरा–8	अनिर्णीत
5	पैरा–9	अनिर्णीत

¼?k½ vkdf{k.k ifrosnu vof/k 4@97 ls 3@2004

1	पैरा–3	अनिर्णीत
2	पैरा–5	अनिर्णीत
3	पैरा–6	अनिर्णीत
4	पैरा–7	अनिर्णीत
5	पैरा–8	अनिर्णीत
6	पैरा– 9	अनिर्णीत
7	पैरा–10	अनिर्णीत
8	पैरा–11	अनिर्णीत
9	पैरा–12	अनिर्णीत

¼³½ vkdf{k.k ifrosnu vof/k 4@04 ls 3@06

1	पैरा–4 (ख)	समाप्त	(वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
2	पैरा–4 (ग)	समाप्त	(–यथोपरि–)
3	पैरा–4 (घ)	अनिर्णीत	
4	पैरा–4 (ङ)	अनिर्णीत	
5	पैरा–5	अनिर्णीत	
6	पैरा–6	अनिर्णीत	
7	पैरा–7	अनिर्णीत	

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k%&

राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय सोलन के अवधि 4/06 से 3/12 के संचयिका लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, श्री सुरेष गुप्ता, सहायक नियन्त्रक व श्री मनजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 25.7.12 से 27.7.12 के दौरान किया गया। विस्तृत जॉच हेतु मास का चयन निम्नानुसार किया गया।

o"kZ	vk; dk fy,	O;; dk fy,
4/06 से 3/07	11/06	9/06
4/07 से 3/08	10/07	7/07
4/08 से 3/09	9/08	8/08
4/09 से 3/10	7/09	4/09
4/10 से 3/11	—	4/10
4/11 से 3/12	—	7/11

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं पर आधारित है तथा उपलब्ध करवाई गई किसी गलत सूचना हेतु अथवा किसी सूचना के उपलब्ध न करवाऐ जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष उतरदायी नहीं होगा।

3 vads{k.k 'kqYd%&

संचयिका लेखों का अंकेक्षण षुल्क पृथक से नहीं लिया गया। अंकेक्षण षुल्क महाविद्यालय के निधि लेखों अवधि 4/06 से 3/12 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में लिया जाएगा।

4 foŸkh; fLFkfr%&

¼d½ अवधि 4/06 से 3/12 के संचयिका लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से पाई गईः–

o"kZ	izkjfEHkd 'ks"k	izkfIr;ka	C;kt	;ksx	O;;	vUr'ks"k
2006–2007	1416825.15	320280	76819	1813924.15	222336	1591588.15
2007–2008	1591588.15	278520	89090	1959198.15	238512	1720686.15
2008–2009	1720686.15	291420	145930	2158036.15	231680	1926356.15
2009–2010	1926356.15	25807	153006	2105169.15	251070	1854099.15
2010–2011	1854099.15	–	95444	1949543.15	132072	1817471.15
2011–2012	1817471.15	–	38758	1856229.15	20146	1836083.15

¼[k½ foŸkh; fLFkfr ds vUr'ks"k dk fooj.k fuEu izdkj ls Fkk%&

(i)	रोकड़ वही में दिनांक 31.3.2012 को अन्त षेष	₹831324.85
(ii)	सावधि खाता में जमा राषि जिसे रोकड़ वही में लेखांकित नहीं किया गया।	₹870269
(iii)	बचत खाता में अर्जित ब्याज जो रोकड़ वही में जमा/लेखाकिंत नहीं किया गया।	₹132457
(iv)	अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/04 से 3/06 के पैरा संख्या 4 (ख) में वर्णित अन्तर की राषि जिसका सुधार दिनांक 31.3. 2012 तक नहीं किया गया।	₹2032.30
	;ksx	₹1836083-15

¼i½ उपरोक्त विवरणानुसार दिनांक 31.3.12 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तषेष ₹1836083.75 तथा रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 31.3.12 को अन्तषेष ₹831324.85/–था। इस प्रकार वित्तीय स्थिति तथा रोकड़ वही के अनुसार अन्तषेष में ₹1004758.30/–का अन्तर था जिसके प्रमुख कारण निम्न प्रकार से पैरा संख्या (ii) (iii) तथा (iv) में दर्षाए गए है।

¼ii½ सावधि जमा योजना में निवेषित ₹870269/–को रोकड़ वही में नहीं दर्षाया गया। अतः उक्त राषि को अभिलम्ब रोकड़ वही में दर्षाया जाए।

¼iii½ ₹132457/–बैंक बचत खाता व सावधि निवेष पर ब्याज के रूप में प्राप्त हुई परन्तु इस प्राप्ति को रोकड़ वही में लेखाबद्ध नहीं किया गया। संचयिका लेखा में प्राप्त आय को रोकड़ वही में न दर्षाना अपने–आप में ही एक गम्भीर आपत्ति है तथा इस अनियमितता के कारण किसी भी प्रकार से दुरूविनियोजन/दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

¼iv½ अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/04 सें 3/06 के पैरा संख्या 4 (ख) के अनुसार ₹2032.30/–का अन्तर वितीय स्थिति व रोकड़ वही षेष मे पाया गया था जिसके सुधार हेतु दिनांक 31.3.2012 तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः रोकड़ वही में ₹2032.30/–में सुधार न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आवष्यक सुधार अविलम्ब किया जाए।

महाविद्यालय द्वारा यद्यपि उक्त राषियों को वित्तीय स्थिति में सम्मिलित/जोड़ लिया गया है फिर भी समस्त प्राप्तियों की संस्था स्तर पर जांच करके इन्हें रोकड़ वही में जोड़कर दर्षाया जाए।

¼x½ cSd esa tek jkf'k;ksa dk fooj.k fuEu izdkj ls FkkA&

1	स्टेट बैंक आफ पटियाला बचत संख्या 65008654941 में दिनांक 31.3.2012 को जमा राषि	₹1029137
2	–यथोपरि– सावधि खाता सं0 65098888055 में जमा राषि	₹870269
	;ksx	₹1899406

¼?k½ foŸkh; fLFkfr rFkk cSd esa tek jkf'k;ksa esa vUrj dk iwoZ[k dkj.k fuEu izdkj ls g&

वित्तीय स्थिति व बैंक जमा में ₹63322.85/=(₹1899406–₹1836083.15) का अन्तर पाया गया जिसका कोई भी विवरण महाविद्यालय द्वारा नहीं दिया गया। यह अन्तर महाविद्यालय द्वारा बैंक समाधान विवरण समय–2 पर तैयार न किये जाने के कारण प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मास के अन्त में पाए गए षेष का विवरण अर्थात कितनी राषि बैंक में जमा थी कितनी हस्तगत थी, का भी कोई विवरण नहीं दिया जा रहा था। जॉच करने पर यह भी पाया गया कि छात्रों को चैक के माध्यम से भुगतान किया जा रहा था परन्तु जो चैक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत ही नहीं हुए उनका कोई भी विवरण तैयार करके आवष्यक समायोजन नहीं किया गया। यद्यपि पूर्व अंकेक्षण में भी भारी अन्तर पाया गया परन्तु फिर भी अनेक वर्षों से बैंक समाधान विवरण तैयार न करके आवष्यक समाधान हेतु कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही जो कि अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है। अतः उक्त पाई गई गम्भीर त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उक्त अन्तर का विवरण देकर एवं आवष्यक समाधान किये जाने हेतु तुरन्त कार्रवाई करने के अतिरिक्त रोकड़ वही मे ंपाए गए षेष का विवरण स्वतः स्पष्ट रूप से प्रतयेक मास दिया जाना भी सुनिष्चित किया जाए।

5 lkof/k fuos'k&

¼d½ महाविद्यालय द्वारा सावधि जमा योजना में समय–2 पर किये गए निवेष का विवरण परिषिष्ट "क" पर दिया गया है। दिनांक 31.3.2012 को ₹870269/–स्टेट बैंक आफ पटियाला के खाता संख्या 65098888055 मे ंजमा थी।

¼[k½ mfpr foŸkh; izcU/ku dk /;ku esa j[krs gq, lkof/k fuos'k u fd;s tkus ds ifj.kkeLo:Ik xr o"kksa esa yxHkx ₹91950@&ds foŸkh; ykHk ls ofpr gksuk&

महाविद्यालय द्वारा सावधि जमा योजना में किये गए निवेषों की जॉच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा पर्याप्त राषियां सावधि योजना में निवेषित नहीं नहीं की गई अपितु बहुत ही कम राषियॉ सावधि जमा योजना में निवेषित पाई गई। उचित वित्तीय प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए आवष्यकता से अधिक पाई गई षेष राषि को सावधि जमा योजना में निवेषित अपेक्षित था जिससे संचयिका निधि में अधिक आय ब्याज के रूप मे ंप्राप्त होती। इस सन्दर्भ में निधि के उचित संचालन व भविष्य की आवष्यकता को ध्यान में रखते हुए 25% भाग ही बचत खाता में रखा जाना अपेक्षित था व षेष 75% भाग सावधि निवेष के रूप में निवेषित किया जाना चाहिए था। उचित वित्तीय प्रबन्धन न किये जाने के कारण महाविद्यालय को लगभग ₹91950/–के अतिरिक्त ब्याज की प्राप्ति से वंचित होना पड़ा जिसका विवरण निम्न प्रकार से वर्णित है।

Ø0 l0 o"kZ Lkapf;dk fuf/k 31 ekpZ dk Lkof/k vkSlr 4%

		e: 31 ekpZ dks tek jkf'k	ik;k@fd;k x;k lkof/k fuos'k	fuos'k tks fd;k tkuk vif{kr Fkk@de fd;k x;k fuos'k	okf"kZd nj ls de vftZr C;kt ₹ esa
1	2006—07	1591588.15	1000000	1200000 200000	8120
2	2007—08	1720686.15	1066602	1290000 223398	9069
3	2008—09	1926356.15	1186102	1450000 263898	10714
4	2009—10	1854099.15	811925	1390000 578075	23469
5	2010—11	1817471.15	870269	1365000 494731	20086
6	2011—12	1836083.15	870269	1375000 504731	20492
				;ksx	₹91950

अतः उक्त पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य में आवष्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राषि को बचत खाते में रखकर षेष पड़ी राषि को सही प्रकार से सावधि खाता मे ंनिवेषित किया जाए।

6 ₹19338@&dk Hkqxrku [kkrkofg;ksa esa fcuk Nk=ksa ds gLrk{kj fy, djuk&

जांच के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा छात्रो ंको संचयिका राषि का अन्तिम भुगतान खातावहियों में करते समय छात्रों से खातावहियों में प्राप्ति से सम्बन्धित हस्ताक्षर नहीं लिए गए है। चयनित मासों में ऐसे प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार से है। छात्रों से राषि के प्राप्ति हस्ताक्षर न करवाने से यह प्रतीत होता है कि यह राषि वास्तव में भुगतान की ही नहीं गई है। अतः यह एक गम्भीर अनियमितता है जिसका तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा इस प्रकरण में आवष्यक कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए अन्यथा अनियमित प्रकार से दर्षाए गए भुगतान ₹19338/— की वसूली

उचित स्त्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए। इसके अतिरिक्त चयनित मासों के अलावा इस प्रकार के अन्य समस्त प्रकरणों की भी सूची बनाई जाए तथा अपेक्षित राषियों की वसूली उचित स्त्रोत से करनी सुनिष्चित की जाए।

Ø0 l0	Nk= dk uke	0kk0 l0	[kkrk ogh i0 l0	jkf’k ftl dk Hkqxrku Nk=k dks gLrk{kj fcuk djuk
1	हेमा	90/6/07	92	122
2	प्रीती	91/6/07	93	122
3	अनिल	149/6/07	151	250
4	सुमन	163/6/07	165	380
5	राजीव	211/6/07	19	122
6	ललित	345/2/6/7	153	510
7	अनिल कुमार	368/2/6/07	176	380
8	ललिता षर्मा	12/07	25	380
9	दीपक कुमार	13/07	26	250
10	शिक्षा	14/07	28	250
11	मीना	15/07	28	123
12	रूमा	16/07	29	123
13	षक्ति	17/07	30	123
14	रोहित कुमार	18/07	31	380
15	विकास	26/07	39	510
16	पूनम	139/07	152	380
17	माला	151/07	164	250
18	चम्पा देवी	178/07	191	380
19	प्रियंका षाह	203/07	23	380
20	अनीता	290/07	110	123
21	अनिल कुमार	119/8/09	14	380
22	विजय चौहान	165/8/09	60	380
23	पुनीत	166/8/09	61	510
24	इन्दु चौहान	167/8/09	62	380
25	दीपिका	178/8/09	73	380

26	पूनम	215/8/09	110	380
27	कमलेश	252/8/09	147	380
28	विनोद ठाकुर	42/8/09	137	380
29	सुरिन्द्र कुमार	81/8/09	176	123
30	निक्कु राम	92/8/09	187	380
31	रीना षर्मा	379/8/09	73	380
32	आशीष भारद्वाज	388/8/09	82	250
33	रीना	394/8/09	88	123
34	रितिका चौहान	408/8/09	102	380
35	टीनू	426/8/09	120	380
36	रीना	436/8/09	130	123
37	राजीव	444/8/09	138	380
38	ष्वेता कुमारी	477/8/09	172	380
39	षीतल	511/8/09	4	380
40	सुदेश	519/8/09	12	380
41	षेखर चन्द	45/9/10	45	380
42	चम्पा	140/9/10	140	380
43	सपन कुमार	191/9/10	191	250
44	अंकुश	272/9/10	72	380
45	जितेन्द्र	277/9/10	77	510
46	स्मृति गोयल	293/9/10	93	380
47	मेघना सूद	294/9/10	94	380
48	षोभू कुमार	306/9/10	106	380
49	दिनेश	314/9/10	114	380
50	निखिल	331/9/10	131	380
51	अनिल कुमार	333/9/10	133	380
52	अनु	57/10/11	57	250
53	प्रिया	61/10/11	61	250
54	सतीश कुमार	62/10/11	62	185
55	देविन्द्र	65/10/11	65	250

56	अनूप	131/10/11	130	380
57	हरप्रीत	2/11/12	2	123
58	अरूण कुमार	28/11/12	28	123
59	संदीप गिल	39/11/12	39	123
60	तान्या कपिला	53/11/12	53	123
61	नितिन चौहान	66/11/12	66	123
62	अतुल कुमार	75/11/12	75	123
63	सन्नी	83/11/12	83	123
64	तेज सिंह	86/11/12	86	123
65	पूजा	103/11/12	103	123
66	ऋषि कुमार	111/11/12	111	123
67	नितिन षर्मा	118/11/12	118	123
68	पूनम	124/11/12	124	123
			;kx	₹19338

7 ₹1520@&dk Hkqxrku i/kkukpk;Z dk lR;kiu@gLrk{kj fcuk djuk%&

लेखा–परीक्षा में चयनित मासों में पाया गया कि निम्न प्रकरणों मे महाविद्यालय द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत खातावहियों में संचयिका राषि का भुगतान करते समय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/डी0डी0ओ0 के सत्यापन/हस्ताक्षर प्राप्त किए बिना ही भुगतान कर दिया गया दर्षाया गया है। बिना सत्यापन के छात्रों को भुगतान किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वास्तव में भुगतान हुआ भी है या नहीं। अतः इस गम्भीर अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा चयनित मासों के अतिरिक्त षेष मासों में इस प्रकार के समस्त प्रकरणों की सूची बनाकर अपेक्षित राषि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

Ø0l0	Nk= dk uke	ok0 l0	[kkrk ogh i"B	jkf'k ftldk Hkqxrku i/kkukpk;Z dk gLrk{kj fcuk fd;k x;k
1	षालिनी ठाकुर	36/6/07	69	380
2	कल्पना	159/07	172	380
3	मोहिनी षर्मा	160/07	173	380

4	सुमित षर्मा	341 / 9 / 10	141	380
				₹1520

8 ₹22387@&dk Hkqxrku vuko’;d :i ls jkdM+ ogh esa n’kkZ;k tkuk&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा अवधि 15.6.07 से 22.4.09 के दौरान कुल ₹22387 / –के चैक संचयिका निधि से छात्रों को भुगतान हेतु किए गये दर्षाये गए है तथा तदानुसार रोकड़ वही में इस राषि को घटा दिया गया परन्तु जांच के दौरान पाया गया कि इन चैकों का माह 7 / 2009 में वास्तविक भुगतान न होने की स्थिति में इन्हें पुनः रोकड़ वही में जमा कर लिया गया। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को बताया गया कि उक्त चैकों को सम्बन्धित छात्र लेने नहीं आए थे जबकि यह चैक पूर्व में ही काट दिए गए थे। अतः इस प्रकार से पूर्व में ही किसी छात्र के नाम चैक काटना अनियमित है। अतः इस प्रथा पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई जाए तथा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों की विवरणी तैयार करके भुगतान न हुये चैकों को रोकड़ वही में पुनः जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में जब तक कोई छात्र अपनी संचयिका निधि में जमा राषि का भुगतान प्राप्त करने हेतु लिखित में प्रार्थना पत्र न दें तब तक उसके नाम का चैक न काटा जाए।

9 Nk=ksa dks lapf;dk jkf’k dk vfUre Hkqxrku djrs le; [kkrk ofg;ksa esa fnukad vafdr u djuk&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि छात्रों को उनकी संचयिका निधि मे जमा राषि का खातावहियों में भुगतान करते समय लगभग सभी प्रकरणों में न तो छात्रों द्वारा और न ही महाविद्यालय के प्रधानाचार्य / डी0डी0ओ0 द्वारा हस्ताक्षर उपरान्त कोई भी तिथियां अंकित की गई है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि ऐसे भुगतान छात्रों को नियमानुसार महाविद्यालय छोड़ने के पष्चात दो वर्षों के भीतर किए गए थे अथवा नहीं। नियमानुसार सम्बन्धित छात्रों के महाविद्यालय छोड़ने के दो वर्षों के पष्चात निष्क्रिय होने के उपरान्त ऐसी राषियां भवन निधि में हस्तांतरित की जानी अपेक्षित थी। अतः उक्त पाई गई अनियमितता बारे अपेक्षित स्पष्टीकरण दिया जाए व भविष्य में छात्रों को संचयिका राषि का भुगतान करते समय खातावहियों में हस्ताक्षर प्राप्त करते समय छात्र व डी0डी0ओ0 द्वारा दिनांक अंकित की जानी सुनिष्चित की जाए।

10 lapf;dk ;kstuk dks vukf/kd`r :i ls cUn djuk&

निदेषक लधु बचत, हिमाचल प्रदेष के पत्र संख्या फिन–2–सी(ए) 4–9 / ल0ब0(संचयिका)–22–885–1907, दिनांक 10.4.1995 द्वारा जारी निर्देषों के अनुसार संचयिका योजना

प्रदेष की कालेज स्तर तक समस्त षैक्षणिक संस्थाओं में सुचारू रूप से लागू की जानी अनिवार्य है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा उक्त निर्देषों की अवहेलना करते हुए माह 3/2009 के पष्चात संचयिका योजना के अन्तर्गत कोई भी अंषदान छात्रों से प्राप्त नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप इस योजना के उदेष्यों की पूर्ति नहीं हो सकी। अतः माह 3/09 के पष्चात छात्रो से संचयिका योजना के अन्तर्गत अंषदान प्राप्त न करने बारे तथ्यों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए व भविष्य में इस योजना को नियमानुसार तुरन्त प्रभाव से सुचारू रूप से महाविद्यालय में पुनः लागू किया जाना सुनिष्चित किया जाए तथा इसकी अनुपालना अंकेक्षण को भी दिखाई जाए।

11 lpf;dk ;kstuk ds vUrxZr ,df=r jkf'k;ksa dks Mkd?kj cpr [kkrksa esa u j[kuk&

विषेष सचिव (वित्त) एवं निदेषक, लधु बचत, हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्या फिन–(2)सी (1) एस0एस0–6/84 दिनांक 28.11.1986 में विनिर्दिष्ट निर्देषानुसार प्रदेष की समस्त षैक्षणिक संस्थाओं में संचायिका योजना के अन्तर्गत छात्रो से एकत्रित राषियों को डाकघर बचत खातों में रखा जाना अनिवार्य है तथा सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेष भी डाकघर में किए जाने अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त निर्देषों की अनदेखी करते हुए संचयिका योजना के अन्तर्गत एकत्रित राषियो को डाकघर बचत खातों में नहीं रखा जा रहा है और न ही सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेष डाकघर में किया जा रहा है। वर्तमान में इन राषियों को स्टेट बैंक आफ पटियाला, कालेज परिसर, सोलन में अनाधिकृत रूप से रखा गया है। यद्यपि पूर्व में इन राषियों का कुछ हिस्सा डाकघर सोलन व जोगिन्द्रा सैन्ट्रल कॉ0–ओपरेटिव बैंक सोलन में रखा गया था परन्तु उक्त संस्थाओं के खाते बन्द कर दिए गए है। अतः उक्त निर्देषों की अवहेलना बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा संचयिका योजना के अन्तर्गत एकत्रित राषियों व निवेषों को डाकघर के खातों में ही रखा जाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 fuf"Ø; [kkrksa dk fooj.k rS;kj djds fuf"Ø; jkf'k Hkou fuf/k esa gLrkarfjr u djuk&

निदेषक, लधु बचत, हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्या फिन–(2)सी (ए) 4–9/ल0ब0 (संचयिका)–22–885–1907 दिनांक 4.10.1995 के अनुसार यदि सम्बन्धित छात्र संचयिका में जमा राषि पाठषाला/कालेज छोड़ने पर छात्र दो वर्ष तक न ले तो यह राषि निष्क्रिय घोषित करके पाठषाला/कालेज की भवन निधि में जमा करवाई जानी अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा इस दिषा में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। संचयिका में अनेक खाते कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े हुए है जिन्हें नियमानुसार महाविद्यालय की भवन निधि में हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित है। अतः उक्त पाई गई त्रुटि बारे

स्थिति स्पष्ट की जाए तथा संचयिका खाते में पड़े समस्त निष्क्रिय खातों का पूर्ण विवरण तैयार करके अपेक्षित राषि को भवन निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 =ekfl d vk/kkj ij C;kt dh x.kuk u djuk&

निदेषक, लधु बचत, हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्या फिन–(2)सी 4–9/ल0ब0 (संचयिका)–22–885–1907 दिनांक 10.4.1995 के अनुसार संचयिका योजना के अन्तर्गत छात्रों से एकत्रित राषि पर तिमाही आधार पर ब्याज लगाया जाना अनिवार्य है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा उक्त पत्र में दिए गए निर्देषानुसार संचयिका योजना के तहत छात्रों से एकत्रित राषियों पर त्रैमासिक आधार पर देय ब्याज की गणना नहीं की जा रही है अपितु राषि के भुगतान के समय पर ब्याज की गणना की जा रही है जो कि नियमानुसार अनियमित है। अतः उक्त पाई गई अनियमितता बारे स्पष्टीकरण दिया जाए व भविष्य में देय बाजार की गणना तिमाही आधार पर करके संचयिका राषि का भुगतान तदानुसार किया जाए। इसकी अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

14 jlhn cqdks dk LVkWd jftLVj iLrqr u djuk&

महाविद्यालय द्वारा संचयिका योजना के अन्तर्गत छात्रों से राषि एकत्रित करने हेतु प्रयोग में लाई गई रसीदों बुकों का कोई भी स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं किया गया। महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि संचयिका योजना के लिए प्रयोग में लाई गई रसीद बुकों का कोई भी स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। स्टॉक रजिस्टर के अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि महाविद्यालय द्वारा इस योजना को समय–2 पर कितनी रसीद बुके छपवाई गई। इसके अतिरिक्त यह रसीद बुके कब–कब तथा किसे जारी हुई तथा उपयोग उपरान्त इनका अन्तषेष क्या था यह भी निष्चित नहीं किया जा सका। अतः उक्त पाई गई त्रुटि बारे तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर को तुरन्त तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 0;fDrxr [kkrkofg;ksa esa jlhn l[;k o fnukad vafdr u djuk&

छात्रों की व्यक्तिगत खातावहियों के अवलोकन करने पर पाया गया कि संचयिका राषि की जमा प्रविष्टि करते समय कोई भी प्राप्ति रसीद संख्या व दिनांक इत्यादि खातों में नहीं दर्षाई गई थी जिसके अभाव

में छात्रों से समय–2 पर एकत्रित संचयिका राषि की जांच नहीं की जा सकी। अतः उक्त पाई गई त्रुटि को तुरन्त प्रभाव से ठीक किया जाए छात्रों की वयक्तिगत खातावहियों में संचयिका राषि की जमा प्रविष्टियां करते समय प्राप्ति रसीद संख्या व दिनांक इत्यादि अंकित करना सुनिष्चित किया जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

16 y?k| vkifÙk foojf.kdk& इसे अलग से जारी नहीं की गई हैं।

17 fu"d"k& लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :वित्त(ले0प0)संचयिका(xi)(4)63/91 दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

i`thdr 1. प्रधानाचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को अवगत करें।
2. निदेषक, षिक्षा विभाग, हि0प्र0 षिमला–171001.
3. निदेषक लधु बचत (हि0प्र0)षिमला–2 को उनके पत्र सं0 फिन(2)सी(4)एस0एस0–6/84 दिनांक 9.9.86 व पत्र संख्या 2 (ए) एस0एस0–6/84 दिनांक 28.11.86 के सन्दर्भ में।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.